



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जुलाई, 2024 ई0 (आषाढ़ 22, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-28

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	563-566	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल सहोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	257-258	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	187-188	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व अनुभाग-1

अधिसूचना

13 जून, 2024 ई0

संख्या 444/XVIII(1)/2024-E-58540-चूंकि, जनभावनाओं के दृष्टिगत जनपद नैनीताल में अवस्थित तहसील "कोश्या कुटोली" का नाम "श्री कैँची धाम" परिवर्तन किया जाना आवश्यक है;

और चूंकि, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53 पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 में ग्रामों एवं तहसील के नाम परिवर्तन के पूर्व प्रस्ताव पर भारत सरकार से पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित है;

और चूंकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11/14/2024-M&G, दिनांक 12.06.2024 एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या- SM/28/15/2024, दिनांक 20.05.2024 में तहसील "कोश्या कुटोली" का नाम परिवर्तन कर "श्री कैँची धाम" किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी जा चुकी है;

अतएव अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-1 वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से जनपद नैनीताल की तहसील "कोश्या कुटोली" का नाम नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परिवर्तन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र०सं०	वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1.	कोश्या कुटोली	श्री कैँची धाम

2- राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसमें अब तक उक्त तहसील के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.444/XVIII(1)/2024-E-58540 dated: June 13, 2024 for general information.

NOTIFICATION

June 13, 2024

No.444/XVIII(1)/2024-E-58540--Whereas, in view of public sentiments, it is necessary to change the name of Tehsil "KOSHYAN KUTALI" located in District Nainital to "SHRI KAINCHI DHAM";

AND WHEREAS, in the Government of India's letter No.130/53 Public, dated September 11, 1953, prior permission is required to be obtained from the Government of India on the proposal to change the name of villages & Tehsil;

AND WHEREAS, the Ministry of Home Affairs/Science & Technology, Government of India has given its consent regarding changing the name of Tehsil "KOSHYAN KUTAULI" to "SHRI KAINCHI DHAM" vide its letter number-11/14/2024-M&G dated 12.06.2024 & SM/28/15/2024, dated 20.05.2024;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act No. 1 of 1904), from the date of publication of this order in the Gazette, the Governor is pleased to allow to change the name of the tehsil "KOSHYAN KUTAULI" in District Nainital, as per the schedule given below.

schedule

SL. NO	Present name	Changed name
1.	KOSHYAN KUTAULI	SHRI KAINCHI DHAM

2- The Governor also directs that nothing in this Notification shall affect any legal proceedings already initiated or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the abovesaid tehsil.

By Order ,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
कार्यालय-ज्ञाप

29 जून, 2024 ई०

संख्या 287/VII-3-24/457-उद्योग/2002 टी.सी.-उद्योग विभाग के अंतर्गत उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत सहायक निदेशक उद्योग/प्रबंधक (वेतनमान लेवल-10, वेतन मैट्रिक्स 56,100-1,77,500) के पदों पर कार्यरत निम्न अधिकारियों/कार्मिकों को उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993, जो कि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली, 1993 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के द्वारा यथाप्रवृत्त लागू है, के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत चयन वर्ष 2023-24 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष उप निदेशक/महाप्रबंधक, (वेतनमान लेवल-11, वेतन मैट्रिक्स 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	पदोन्नत अधिकारी का नाम
1	श्री एच.सी. हटवाल
2	श्री सोमनाथ

- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उप निदेशक/महाप्रबंधक के पद पर 01 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से किये जायेंगे।
- ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जुलाई, 2024 ई0

संख्या 859/XXXI(1)/2024/पदो0-01/2021-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री निधि विश्‍नोई, समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान-रु0 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री निधि विश्‍नोई, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति फलस्वरूप सुश्री निधि विश्‍नोई, अनुभाग अधिकारी को परिवहन अनुभाग-01 में तैनात किया जाता है।

5- सुश्री निधि विश्‍नोई, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव।

आवास अनुभाग-1

अधिसूचना

01 जुलाई, 2024 ई0

संख्या 221561/V-1/2023-ई-57589/2024-जनपद हरिद्वार के घाड़ क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु घाड़ क्षेत्र विकास परिषद का गठन, अधिसूचना संख्या-246/V-2/आ0-2015-(आ0)/2015, दिनांक: 09 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था। वर्तमान में जनपद हरिद्वार के सुनियोजित विकास हेतु पूर्व से ही हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण अस्तित्व में होने के फलस्वरूप घाड़ क्षेत्र विकास परिषद को समाप्त करते हुए उक्त परिषद के क्षेत्र को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अतर सिंह,
अपर सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जुलाई, 2024 ई0 (आषाढ़ 22, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 21, 2024

No. 253/XIV/a-29/Admin.A/2021--Shri Adarsh Tripathi, the then Civil Judge (Jr. Div.), Bhikyasen, District Almora, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 04.03.2024 to 13.03.2024 with permission to prefix 03.03.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 21, 2024

No. 254/XIV-a-36/Admin.A/2016--Shri Rajendra Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 22.04.2024 to 01.05.2024 with permission to prefix 21.04.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL**NOTIFICATION***June 26, 2024*

No.262/UHC/Admin.A-2/2024--Ms. Kahkasha Khan, Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital is posted as Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital w.e.f. 01.07.2024, on superannuation of Shri Ashish Naithani.

She is also given the additional charge of office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital.

NOTIFICATION*June 26, 2024*

No.263/UHC/Admin.A-2/2024--Shri Sachin Kumar Pathak, Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar is repatriated, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli vice Shri Yogendra Kumar Sagar.

Note:

(A) Recommendation of the name of Shri Yogendra Kumar Sagar, Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for his posting as Secretary, District Legal Services Authority Udham Singh Nagar vice Shri Sachin Kumar Pathak.

All above orders shall come into force w.e.f. 01.07.2024.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-

ASHISH NAITHANI,
Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE**(ON TAKING OVER)***13th June, 2024*

No.3040/UHC/Admin.A/2024--Charge of office of the State Public Information Officer (*under Right to Information Act-2005*) in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital is taken over by the undersigned in the forenoon of 13.06.2024 under the order of the High Court vide Notification No. 235/UHC/Admin.A/2024 Dated 11.06.2024.

HARSH SINGH JEENA

Countersigned

illegible,

Registrar General,
High Court of Uttarakhand
Nainital.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 22, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

In my Army records my name is mistakenly recorded as LAKSHMAN SINGH whereas my correct name is in my army record LAKSHMAN SINGH RAWAT as mentioned in all other documents.

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Army No.14910576H NK

LAKSHMAN SINGH RAWAT

S/O BHAGAT SINGH RAWAT

R/O NEHRU COLONY DEHRADUN

UTTARAKHAND.

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 545370076657 में उसका घरेलू नाम ADHYAN KAUSHIK दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम DEVANSH KAUSHIK है, भविष्य में मेरे पुत्र को DEVANSH KAUSHIK S/O ASHISH KUMAR के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ASHISH KUMAR

निवासी 63 गंगानगर ऋषिकेश
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 437746464853 में उसका घरेलू नाम ADITYA KAUSHIK दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम CHIRAG KAUSHIK है, भविष्य में मेरे पुत्र को CHIRAG KAUSHIK S/O ASHISH KUMAR के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ASHISH KUMAR

निवासी 63 गंगानगर ऋषिकेश
देहरादून, उत्तराखण्ड।